[אוזית II- מוטיש (i)]

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made

12

## Promotion:

Prosthetic Technician (Grade-I) with five years' regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying/cligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/cligibility service by more than one year and have successfully completed their promotion period, if prescribed.

Transfer on Deputation:

Officers under the Central Government:-

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or
  - (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:-

Essential:

(A) Degree in Prosthetics and Orthotics from a recognised University/Institute or equivalent.

or

(B) (i) Diploma in Prosthetics and Orthotics from a recognised university/Institute or equivalent.

(ii) 2 years' experience of working in a Prosthetics Workshop.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this apparent of the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.)

If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commi- ssion to be consulted in making recruitment	
13	14	
<ul> <li>Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion)</li> <li>Director, Jawaharlal Institute of Post graduate Medical Education and Research—Chairman</li> <li>Dean —Member</li> <li>Head of the Department concerned—Member</li> <li>Deputy Director (Administration)—Member</li> </ul>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	
	[No.A-12018/22/92-RR(ME(PG)]	

R.L. MALHOTRA, Desk Officer.

## नई दिल्ली, 8 जून. 1995

साल्यगर्शनित 301.----राष्ट्रपति, संविधान के ग्रनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेल और श्रीमती सुचेता कुपलानी ग्रस्पनाल, तथा कलावती सरन वाल श्रस्पताल, नई दिल्लो (समूह "क" राजपलित) भर्ती नियम, 1987 को, जहां तक उनका संबंध परिचर्या अधीक्षक के पद से है उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐभे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता छपलानी अस्पताल तथा कलाधती सरन बाल श्रस्पताल में परिचर्या अधीक्षक के मगह "क" पद पर भर्ता की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:---

ा. संक्षिप्त नाम श्रौर प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडो हार्डिंग मेडिकल कालेज धौर श्रीमती सुचेता हुगलामी अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (परिचर्या ध्रधीक्षक) भर्ती नियम, 1995 है। (2) ये राजपत में प्रकाशन का तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतवमान :--- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाधद मनुसूचा के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिदिष्ट हैं।

3. भर्ती को पछति, आधु-सोमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति ग्रायुसीमा, ग्रहंनाए और उससे संबंधित ग्रन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिविष्ट हैं।

4. निर्हरताः वहं व्यक्तिः ----

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति था जिसकी पौनी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते। हुए किसी व्यक्ति जे विवाह किया है,

उक्त पद पर निय्थित का पाल नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के चन्य पक्षकार को लागू स्वीध विधि के यधीत अनुमेव हे और ऐसा करन के लिए अन्य ग्राधार ह तो वह किसा व्यक्ति का इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :--जहां केन्द्रीय सरकार को।यह राय है कि ऐसा करता आक्ष्माक या समीचीन है, इहां बह उसके लिए जो कारण हैं उनमें लेखबढ़ करके तथा संघ लोक सौंधा श्रायोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपवन्म को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, जादेश द्वारा शिथिल कर सकगी।

			31,41			
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेनन्भान	चयन पद्ध अथवा श्वचयन पद्ध	सैवा में जोगे गए वर्षों का फ़ायदा, केन्द्रीय सिदिल सेवा (पेणन) नियम, 1972 के नियम 30 के बधोन मनुज्ञेय हैं या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यवितयों दें लिए ग्रायु- सोमा
1	2	3	4	5	6	7
परिचर्या ग्रश्वीक्षक	* 2 (दो) (1995) *कार्यभार के परिवर्तन किय	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क'' राजपवित/अननु- सचिर्वाय प्राधार पर । जा सकता है ।	2200-75-2800- द.रो100- 4000 रु.	चयन नह	ों नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जार्रा किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल को जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अव- धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में आभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियायक तारीख भारत में आभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियान की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह यन्तिम तारीख)

<u>ग्रन्स</u>्ची

		7
		जो असम, मेघालय, शच्ल्णाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, व्यिपुरा, सिक्किम, जम्मू क कश्मीर राज्य के लहार कलाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंद- मान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीय के अभ्याधियों के लिए विहित की गई है।
सीधे भर्ती किए जाने वाले श्वक्तियों के लिए ग्रपेक्षित शैक्षिक और ग्रन्थ श्रह्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और गैक्षिक प्रहेताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की ग्रवधि यदि कोई हो
8	9	10
<ul> <li>श्रावश्यक :</li> <li>(1) किसी मान्यता प्राप्त थिषवविद्यालय से परिचर्या में मास्टर/परिचर्या में एम .एम .सी. डिग्री या समतुल्य ।</li> <li>(2) उसे रजिस्ट्रोकृत नर्म और रजिस्ट्रीकृत सेविका (निडवाइफ) होनी चाहिए ।</li> <li>(3) किसो सम्पताल/परिचर्या गृह में परिचर्या में तीन कर्म करप्यत ।</li> </ul>	भ्रायु : नहीं शैक्षिक स्रईताएं : नहीं । किन्तु उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्व- बिद्यालय से परिचर्या शिक्षा प्रणामन में डिप्लोमा या बी .एस .सी . परिचर्या होना चाहिए । तया उसे रजिस्ट्रीकुत सेविका (मिडवाइफ) होनी चाहिए ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(3) किसो अस्पताल/पश्चिर्या गृह में परिवर्या में तीन वर्षं का ग्रनुभव ।

संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार गिथिल की जा सकती है ।

सेवा ग्रायोग के विवेकानुसार प्रनुसूचित जातियों और भ्रनुसूचित जनजातियों के श्रर्भ्याथयों की दशा में तब णिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा श्रायोग की यह राय है, कि उनके लिए श्रारक्षित व्यक्तियों को भरने के लिए भ्रपेक्षित म्रनुभव रखने वाले उन ममुदायों के भ्रर्म्यांथयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हे ।

THE GAZETTE OF INDIA JUNE 24, 1995/ASADHA 3, 1917 [PART II--SEC. 3(i)] \_\_\_\_\_

-----

भर्ती को पद्धति/भर्ती सीबे होगो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली शिक्तयों की प्रतिणतता ।

प्रोन्न ति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसं प्रोन्नतिप्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

11	12
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ढ्रारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती ढ्रारा ।	प्रोम्नति : लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता क्रुपलानी अत्युताल तथा कलावती बाल सरन अस्पताल में ऐसा उप परिचर्या धाधिक्षक, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है : जिसके न हो सकने पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुवेध कृपताली अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल में ऐसा उप परिचर्या अधीक्षक जिसने उप परिचर्या श्रधीक्षक और सहायक परिचय श्रधीक्षक की श्रीणयों में कुल मिलाकर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
	टिप्पग :
	<ol> <li>जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपना अर्हक/पास्नता सेवा पूरी कर ली है, प्रोप्तति के लिए विचार किया जा रहा है/हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनसे द्वारा की गई सथा अपेक्षित अर्हक/पालका सेवा से एक वर्ष से क्वछिक से कम न हो और उन्होंने अपना परिवीक्षा अर्थाक, यदि विह्ति हो, सफलतापूर्यक पूरी कर ली हो।</li> </ol>
	2. प्रोसनि के लिए पालता सूची अधिकारियों ढारा अपनी श्रेणी/पद पर विहित श्रहंक सेवा पूरी करने को तागीख के प्रतिनिर्देश में तैयार की जाएगी।
	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय स् <b>रिकार के श्र</b> क्षोन ऐसे अधिकारी :
( क	<ul> <li>जो नियमित ग्राधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या</li> </ul>
	<ul> <li>(ii) जिन्होंने 2000-3500 रुपये या समतुल्य बेतनमान वाले पदों पर तीम वर्ष को निममित सेवा की है; या</li> </ul>
	(iii) जिल्होंने 2000-3200 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच दर्ग की नियमित सेंबा की है; और
	(ख) जिनके पास किसा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भरिचर्या शिक्ष और प्रशासन में डिप्लोमा ह और जो रजिस्ट्रोइत नर्स और रजिरद्रीइत सेंबिका है।
	(पोषक प्रधर्म के ऐसे विश्वासीक अधिकारी जो प्रोक्षति को सीधी पंतित मे हं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान्न नई हांगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति ढारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के राज नहीं[होंगे। )
	(प्रतिनियुक्ति की इलाधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सप्कार के उसी या किसी अन्य सगठन/जिभाग के इस निपुन्ति से ठोक पहले घारित किसी अन्य कोडर वाहद पद पर प्रतिनियुधित की अवधि ह, साधारणतया तीन वर्ष से अधिया नहीं होगी। प्रतिनियुधित पर स्थानान्तरण ढार नियुक्ति के लिए कधिकतम आयु-सीमा आवेदन भाष्त करने की अन्तिम तारीख की 56 वर्ष से अधिक नही होगी। ।

1418

	आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
सबूह "क" विगागंध प्रोत्रति संसिति (प्रोक्षति के संबंध में विचार करने के तिर्): 1. ग्रध्यक्ष/वदस्य, संव लोक सेवा प्रायोगधध्यक्ष 2. संयुक्त सविन, ध्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्रालय	प्रत्थेक ग्रवसर पर संघ लोक सेवा भायोग से परामर्थ करना ग्रावश्यक है।

## New Delhi, the 8th June, 1995

G.S.R. 301.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani and Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi Recruitment Rules, 1987 in so far as they relate to the post of Nursing Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' post of Nursing Superintendent in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital and Kalawati Saran Children Hospital namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital and Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi (Nursing Superintendent) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attched thereto shall be as specified

[संख्या 11018/10/93-न्न्रार श्रार (एम०ई०) (यूर्जी०)] श्रार० राममृति, डैस्क श्रधिकारी

in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disgualification .--- No person,----

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, satisfied that such matriage in permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the matriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

\_\_\_\_

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, 'relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Cas'e, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

		SCHEDULE			0	
Name of post	Number of post	Classification		\$cale of pay	Whether Selection post or non-selection post	
1	2	β		4		
Nursing Superintendent	*2(two) (1995)	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial		2200-75-2800-EB- 4000	Selection	
	*Subject to c	lepending on workload.				
Whether benefit of added/years of service admissiblo/under rulo 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules.	Age limit for	r direct recruits		Educational and oth required for direct r		
6	Nat avoad					
Yes	(Relaxable fa upto 5 years instructions Central Gov Note : The a the age-limit receipt of ap India (and n for those in Pradesh, M Tripura, Si Jammu and Spiti District	exceeding 35 years sxable for Government servants 5 years in accordance with the uctions or orders issued by the ral Government). e: The crucial date for determining age-limit shall be the closing date for pt of applications from crudidates in a (and not the closing date prescribed hose in Assam, Meghalaya, Arunachal lesh, Mizoram, Manipur, Nagaland ura, Sikkim, Ladkah, Division of mu and Kashmir State, Lahaul and Distrist of Himachal Pradesh, Anda- and Nicobar Islands or Lakshadweep).		<ul> <li>Essential:</li> <li>(i) Master in Nursing/M.Sc. Degree in Nursing from a recognised University or equivalent.</li> <li>(ii) Should be a Registered Nurse and Registered Midwife.</li> <li>(iii) 3 years' experience in Nursing in a Hospital/Nursing Home.</li> <li>Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates other- wise well qualified.</li> <li>Note : 2. The qualification(s) regarding</li> </ul>		
Whether age and education qualifications prescribed for recruits will apply in the oppromotees	for direct	eriod of Probation		direct recruitm by deputation/t	ruitment, whether by ent or by promotion or ransfer and percentages s to be filled by various	
9		10		11		
Age : No Educational Qualification bat should possess Dip Nursing Educational A tration or B.Sc. Nursin recognised University of valent and should be a tored Nurse and Regist	s: No, f loma in dminis- g from a or equi- Regis-	ear for direct recruits and 2 or promotees	2 year	s Promotion, fa on deputatio direct recruit	iling which by transfer n, and failing both by ment.	

. -=\_ -=\_.

In case of recruitment by promotion/deputa-If a Departmental Promotion Circumstances tion/transfer, grades from which promotion, .... Committee exists, what is its deputation/transfer to be made composition ?

## Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

12	13	14
<ul> <li>Deputy Nursing Superintendent, IHMC &amp; Smt.</li> <li>S.K. Hospital and Kalawati Saran Children's Hospital with 3 years regular service in the grade;</li> <li>failing which Deputy Nursing Superintendent Lady Hardings Medical College &amp; Smt.</li> <li>S.K. Hospital and Kalawati Saran Children's Hospital with 5 years combined regular ser-</li> </ul>	<ul> <li>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) :</li> <li>1. Chairman/Member' Union Public Service Commission—Chairman.</li> <li>2. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare—Member.</li> <li>3. Additional Director General/Deputy Director General—Member</li> <li>4. Director (Administration and Secretary)</li> </ul>	Consultation with Union Public Service Commis- sion necessary on each occasion-
qualifying/eligibility service are being con- sidered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.	<ul> <li>Vigilance)Mamber</li> <li>5. Nursing AdviserMember.</li> <li>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :</li> </ul>	
Note II: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualitying service in the respective grade/ post.	<ol> <li>Additional Director General/ Deputy Director General-Mem</li> <li>Director (Administration and Vigilance)-Member.</li> <li>Nursing Advisor-Member.</li> </ol>	ber
Transfer on deputation : Officers under the Central Government	5. Deputy Director Administra- tion (concerned)—Member.	
<ul> <li>(a)(i) holding analogous posts on a regular No.</li> <li>basis; or</li> <li>(ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500/- or equivalent; or</li> <li>(ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3200/- or equivalent; and</li> <li>(b) possessing Diploma in Nursing Education and Administration or B.Sc. Nursing from a reaognised University or equivalent and should be a Registered Nurse-and Registered Nurse-and Registered Midwife.</li> </ul>	<ul> <li>The precedings of the Department</li> <li>Promotion Committee relating to committee seat to the Committee are for approval. It however, these are roved by the Commission a fresh methe Departmental Promotion Commito be presided over by the Chairman a Member of the Union Public Serve Commission shall be held.</li> </ul>	confit- nission not app- ceting of nittee n or

which

in

1422 THE GAZETTE OF INDIA: JUNE	[PART II-SEC. 5(1)]		
12	13	14	
(The Departmental officers in the feeder cate-	╡╍╴╌ <b>╶╴╶╴╶╴╶╴╶</b> ╸╸╸		
gory who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for			
appointment on deputation, Similarly, depu-			
tationists shall not be eligible for considera-			
tion for appointment by promotion).			
(Period of deputation including period of depu-			
tation in another ex-cadre post held imme-			
diately preceding this appointment in the			
same or some other organisation/department			
of the Cent:al Government shall ordinarily			
not exceed 3 years. The maximum age			
limit for appointment by transfer on depu-			
tation shell be not exceeding 56 years' as on			

[No. A-11018/10/93-RR/ME(UG)] R. RAMAMURTHY, Desk Officer

जल-भूगल परिवहन मंत्रालम

(स्थापना असुभाग)

नई दिल्ली, 6 जूने, 1995

सा.का.ति. 302.---राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक ढारा घवल शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अल-भूतल परिवहन मंत्रालय, (परिवहन पक्ष) (संयुक्त निदेशक)(इलैक्ट्रानिक डेटा प्रोसेंसिंग केन्द्र) मर्ती नियम, 1988 को, उन वा तों के सिवास अधिकांत करने हुए, जिन्हे ऐसे अधिकमण सें पहले किंबा गया है या करने का लोग किया गया है, जल-भूतल परिवहन मंद्रातव (परिवहन पक्ष) में संयुक्त निदेशक (इलैक्ट्रानिक डाटा संसाधन केन्द्र) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के निए निम्नजिबित नियम बनाते हें अर्थान्:---

 संभिष्त नाम और प्रारम्भः --- (1) इन निममों का र्रक्षिप्त नाम जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष), संयुक्त निदेशक (इलैक्ट्रानिक डाटा मंसाधन केन्द्र) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत में प्रकाशन की तारी को प्रयुत्त होंगे।

 पद संख्या, बर्गीकरण और बेतनमान :---- उन्स पद की संख्या, उसका बर्गीकरण और उसका बेतनमान बहु होगा, को इन नियमों से उपाबद ग्रनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में बिनिर्दिष्ट हैं।

3, भर्ती को पद्धति, आयु-सीना ग्रन्न अर्हताएं आदि :----खन्त पद पर गर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उस्त प्रनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में बिनिर्दिष्ट हैं।

4. निरईताः यह् व्यक्तिः----

the closing date of receipt of applications).

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसको पत्नी जीवित है, विवाह किया है, वा

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पतनी के जीबित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर निमुक्ति का पाल नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह संभाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अस्य संश्रकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के अर्व्यान से ...छूट दे.सकेग्री ! -